न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला भरतपुर
व इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड

मुकदमा नं0 06/2022

1– श्रीगोलोक वृन्दावन गउशाला जडखोर धाम जरिये राजेन्द्र प्रसाद पुत्र वालचन्द जाति वैश्य निवासी जडखोरधाम पोस्ट गुहाना तहसील डीग जिला डीग

अपीलान्ट

बनाम

1–ग्राम पंचायत कनवाडा पंचायत समिति कामां जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कनवाडा तहसील कामां

रैस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट
दाखिल खारिज नं0 774 वाके ग्राम मुरार तहसील
कामां अज आदेश दिनांक 19.12.2020

निर्णय

दिनांक :– 27.09.2023

अपील अपीलान्ट श्रीगोलोक वृन्दावन गउशाला जडखोर धाम जरिये राजेन्द्र प्रसाद पुत्र वालचन्द जाति वैश्य निवासी जडखोरधाम पोस्ट गुहाना तहसील डीग जिला डीग द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 भू0राज0 अधिनियम के तहत दाखिल खारिज नं0 774 वाके ग्राम मुरार तहसील कामां अज आदेश दिनांक 19.12.2020 पेश कर निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 186/1.95, 187/2.02, 188/4.75 हैक्टर वाके ग्राम मुरार के 1/19 हिस्सा रकवा को गउशाला के लिए दिनांक 30.6.2020 को हरवीर पुत्र मोहरसिंह से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया था । जिसे दाखिल खारिज करने हेतु पटवारी हल्का को दे दिया जिस पर पटवारी हल्का कनवाडा द्वारा दिनांक 25.9.2020 को रजिस्ट्रर्ड बयनामा के आधार पर दाखिल खारिज नं0 774 को नियमानुसार अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज किया जिसकी जांच दिनांक 24.11.2020 को गिरदावर हल्का से नियमानुसार की जाकर रैस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 4.12.2020 को दाखिल खारिज नं0 774 को अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकार करते हुए फैसल कर दिया गया । जिसकी नकल अपीलान्ट को जारी कर दी गई । जिसके सवव दिनांक 4.12.2020 को रैस्पोडैन्ट द्वारा दा0ख0नं0 774 को अपीलान्ट के पक्ष में फैसल कर देने के बाद अपीलान्ट निश्चित हो गये परन्तु अब दिनांक 4.12.2020 को रैस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को स्पष्ट शब्दों में धमकी देते हुए कहा कि हमने जो दाखिल खारिज नं0 774 बयनामा के आधार पर तुम्हारे पक्ष में फैसल किया था उसको हमने दिनांक 19.12.20220 को खारिज कर दिया है । जिसकी जानकारी उसी दिन दिनांक 1.12.2021 से पटवारी हल्का से दाखिल खारिज नं0 774 की पुनः नकल प्राप्त करने पर हुई । इससे पूर्व अपीलान्ट को दाखिल खारिज नं. 774 पर रैस्पोडेन्ट के पारित आदेश दिनांक 19.12.2020 की कतई जानकारी नहीं थी । बाद जानकारी से अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद पेश है । एवं ग्राम पंचायत रैस्पोडेन्ट का दाखिल खारिज नं0 774 पर दिनांक 19.12.2020 को पारित आदेश अवैध गैर कानूनी होने के कारण निम्न आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । पुनः जाचं कर फैसल करने से पूर्व ना तो अपीलान्ट को ना तो सुनवाई के लिए नियमानुसार नोटिस किये ना ही अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया । जिसके सबब रैस्पोडेन्ट का ओदेश दिनांक 19.12.20 बैंक आफ दा पार्टी होने के

सबव दा0ख0नं0 774 पर रैस्पोडैन्ट का पारित आदेश दिनांक 19.12.20 काबिले निरस्त किये जाने योग्य है । लैण्ड रिकार्ड रूल्स के अनुसार दाखिल खारिज मंजूर होने के बाद पटवारी हल्का का उसे तुरन्त तहसील कार्यालय में जमा कराना चाहिए था जो नहीं कराया गया अ ौर पिछली तारीखों में बिना अपीलान्ट को सूचना दिये पटवारी हल्का और सरपंच की मिलीभगत से उसे दि नांक 19.12.20 को खारिज कर दिया जो कतई गलत खिलाफ कानून होने के कारण दाखिल खारिज नं0 774 पर रैस्पोडेन्ट का पारित आदेश दिनांक 19.12.2020 काबिले निरस्त है ।

अतः अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर दाखिल खारिज नं0 774 पर रैस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 19.12.20 के आदेश को निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार कामां को रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 30.6.20 के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में दाखिल खारिज दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर्ड की गई । रैस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस जारी किया गया । रैस्पोडेन्ट ने उपस्थित रह कर जबाव पेश किया गया कि खसरा नम्बर 186/1.95, 187/2.02, 188/4.75 हैक्टर वाके ग्राम मुरार में 43 सह खातेदार काश्तकार है, परन्तु किसी सह खातेदार का आराजी मुतनाजा पर कब्जा काश्त नहीं है और ना ही विवादित आराजी मुतनाजा कभी भी काबिले काश्त योग्य रही है । मौके पर विवादित आराजी पेड़ पर लगे हुए है व आराजी मुतनाजा की किस्म वनी है और बगीची बनी हुई है विवादित आराजी की श्री हनुमान महाराज का मन्दिर बना हुआ है । जिस पर आदि काल से भक्त लोग दर्शन करने आते जाते रहते है तथा उक्त क्षेत्र धार्मिक भावनाओ से जुडा हुआ है । विवादित आराजी मुतनाजा पर वक्त बयनामा विक्रेतागण का आराजी मुतनाजा पर कोई कब्जा मौके पर नहीं था जब विक्रेता का मौके पर कब्जा ही नहीं था तो खरीद दार का कब्जा लेने का सबाल ही नहीं उठता है जबकि किसी आराजी पर विक्रेता व खरीददार का मौके पर कब्जा ही नहीं होता है तो वह बयनामा कानून में प्रभावहीन व शून्य माना जाता है । विवादित आराजी मुतनाजा पूर्व में मन्दिर माफी की आराजी थी जिस पर खातेदारान ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर अपने नाम खातेदारी प्राप्त कर ली थी, परन्तु खातेदारान द्वारा उक्त विवादित आराजी मुतनाजा पर आज कोई काश्त नहीं की है । इस बावत ग्राम मुरार व मुल्लाका के व्यक्तियों द्वारा अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर0टी0एक्ट का उनवानी मन्दिर मूर्ति हनुमान जी महाराज बनाम गंगाराम वगैराह न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर कामां के यहां विचाराधीन है । जिसकी आगामी तारीख 12.2.23 नियत है । जब तक उक्त वाद का निस्तारण नहीं हो जाता है तब कि उक्त नामान्तकरण की अपील का निस्तारण किया जाना न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है । क्योंकि यदि वाद डिक्री हो जायेगा तो विवादित आराजी मन्दिर मूर्ति श्री हनुमानजी महाराज के नाम हो जायेगी । अपील म्याद बाहर पेश है कि प्रथम दृष्टया उक्त अपील लिमिटेशन के स्टेज पर ही खारिज किये जाने योग्य है । ग्राम पंचायत कनवाडा ने नामान्तकरण को फैसल करते वक्त कोई भी कानूनी भूल नहीं की है । क्योंकि वक्त बयनामा आराजी पर विक्रेतागण का कोई कब्जा नहीं था और ना ही अपीलान्ट को मौके पर कब्जा दिया गया । वयनामा की कार्यवाही मात्र कागजी कार्यवाही थी इसलिए ग्राम पंचायत का फैसला सही है । प्रारम्भिक आपत्ति पेश कर निवेदन है कि उक्त अपील को लिमिटेशन के बिन्दु व मौके पर खरीददार का कब्जा ना होने की स्थिति में खारिज फरमाई जावे ।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तकरण संख्या 774 दिनाक 19.12.2020 2013,के साथ सलग्न कर पेश किया है ।

जिससे अपील को खारिज किया जा सके । अत अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होती है ।

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा दाखिल खारिज नं0 774 दिनांक 19.12.2020 को खारिज किया जाता है । तहसीलदार कामां को आदेश दिया जाता है पुनः नियमानुसार जांच कर दाखिल खारिज खोला जावे । प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
कामां (डीग)